

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 225/13

संस्थापन दिनांक:-16/07/13

फाईलिंग नं. 233504000722013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. रन्जु पिता सद्दू बिन्झाड़े
उम्र 21 वर्ष,
2. गोविंदा पिता भद्दू बिन्झाड़े,
उम्र 23 वर्ष, दोनों निवासी हुटमुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 16.08.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.07.2013 को रात 11:00 बजे ग्राम हुटमुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी भद्दू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नरेंद्र एवं फरियादी भद्दू की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.2013 को रात्रि करीब 11 बजे अभियुक्त सद्दू ने फरियादी के घर आकर उसके पिता को उठाया तो फरियादी के लड़के नरेंद्र ने कहा कि दादाजी को क्यों उठा रहे हो तो इसी बात पर से अभियुक्तगण नरेंद्र को मारने लगे तो फरियादी ने उन्हें मना किया तो अभियुक्तगण ने फरियादी को लकड़ी से सिर पर मारा। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 179/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी भद्दू का अभियुक्तगण से राजीनामा हो चुका है परंतु धारा 324/34 भा.दं.सं. के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण जारी किया गया। विचारण के दौरान आहत नरेंद्र एवं

अभियुक्त सद्दू की मृत्यु हो जाने से उन्हें फौत घोषित किया गया है।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 07.07.2013 को रात 11:00 बजे ग्राम दुटमुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी भद्दू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नरेंद्र एवं फरियादी भद्दू की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 भद्दू (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना वर्ष 2013 की होकर ग्राम दुटमुर की रात्रि 11 बजे की है। घटना के समय घर के सभी लोग खाना खाकर सो गये थे तभी अभियुक्तगण उनके घर के सामने जोर-जोर से हल्ला करने लगे, जिस पर उसने अभियुक्तगण को हल्ला करने से मना किया तो अभियुक्तगण उन्हें मारने को उतारू हो गये। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि वह और उसका लड़का नरेंद्र अभियुक्तगण के पीछे भागे तो वे बारिश के कीचड़ में गिर गये थे तथा अभियुक्तगण ने उसके तथा उसके लड़के के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 07.07.2013 को अभियुक्तगण ने उसके तथा उसके लड़के के साथ लाठी से मारपीट की थी जिससे उन्हें चोट आयी थी। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी तथा उसके लड़के के साथ वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है। साथ ही भद्दू (अ. सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी भद्दू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और

उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत नरेंद्र एवं फरियादी भद्दू की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण रन्जु एवं गोविंदा को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)